

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) म प्रकाशनाथ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 45/2019-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 12 सितंबर, 2019

का.आ. (ई) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) का धारा के अनुच्छेद 152 (ए) के अंतगत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015- सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में महानिदेशक, राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनाथ उपयुक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसों के संबंध में उपयुक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निवहन हेतु एतद द्वारा उपयुक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारों के रूप में काय करने के लिए नियुक्त करते हैं

तालिका

क्र.	विवरण	सं. नि.	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम	विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मै बालाजी अमीनस लि., बालाजी टावर, सं. 9/1A/1 होतगी रोड, आसरा चौक, सोलापुर, महाराष्ट्र-413224	फ़ा. सं. DRI/KZU/ CF/Enq-76(Int-09)/ 2018 दिनांक 23.08.2019.	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-II), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (नियात), न्यू कस्टम हाउस, बललाड इस्टेट, मुंबई.	अपर महानिदेशक (न्याय निणयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई. (तालिका के क्रम सं. 1 और 2 के लिए).
2.	मै हुबरग्रुप इंडिया प्रा. लि., प्लॉट सं. 808/E, फ़ेस-II, जीआईडीसी, वापी, गुजरात-396191.	फ़ा. सं. DRI/KZU/ CF/Enq-151(Int- 09)/2018 दिनांक 26.08.2019.	प्रधान आयुक्त / आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-II), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.	

			संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, कस्टम हाउस, नवरंगपुरा, अहमदाबाद.	
			संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, मुँदरा पीयूबी बिल्डिंग, अदानी पोर्ट, मुँदरा, कच्छ.	
3.	श्री विश्रुत सिंगला, पाटनर, मै एवाईएस शिपिंग कापरिशन, रूम सं. 57, शिवालिक टावर, फोकल पॉइंट, लुधियाना और श्री हरिंदर सिंह, G-काड होल्डर, मै भगवती इंपेक्ष (सीएचए), कुकरेजा प्लाज़ा, ऑफिस सं. 305, A विंग, 3 ^{रा} तल, के स्टार होटल के निकट, प्लॉट सं. 46, 47, 56, सेक्टर-11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई-400614.	फ़ा. सं. DRI/ LDZU/856/(Inv-1) (Int-5)/2017 दिनांक 01.11.2017	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, इनलड कंटेनर डिपो, जीआरएफएल, सहनेवाल, लुधियाना. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), न्हावा शेवा-III, जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़. संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (पोर्ट), कस्टम हाउस, कोलकाता.	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क, इनलड कंटेनर डिपो, जीआरएफएल, सहनेवाल, लुधियाना.

[. . DRI/HQ-CI/50D/CAA-37/2019-CI]

(श्री)
f

प्रतिनिधि सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित

1. तालिका के स्तंभ (5) में वर्णित समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को मामले के न्याय निणयन हेतु।
2. तालिका के स्तंभ (4) में वर्णित न्यायनिर्णयन प्राधिकारी।
3. प्रधान/ अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय-लुधियाना और कोलकाता को इस निवेदन के साथ कि वे उनके ज़ोनल यूनिट से संबंधित कारण बताओ नोटिसों के नोटिसियाँ को समान न्याय निणयनन अधिकारी को नियुक्ति के बारे में सूचित करें। यह भी निवेदन है कि वे केस फ़ाइल, कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेज़ों (Relied Upon Documents) और कारण बताओ नोटिस का अभिस्वीकृति (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निणयन अधिकारी को भेज दें।